पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprises)
CIN No.L40101DL1989GOI038121

पावरग्रिड

उत्तरी क्षेत्र-III क्षेत्रीय मुख्यालय : Northern Region-III Regional Head Quarter
कार्यालय : 12, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226 001 (उ.प्र.) : दूरभाष : 0522-2205155 ई-मेल : rhq.nr3@powergrid.co.in
Office : 12, Rana Pratap Marg, Lucknow - 226 001 (U.P.) : Tel : 0522-2205155 E-Mail : rhq.nr3@powergrid.co.in

सन्दर्भ संख्या / Ref. No. :

संदर्भ: पावरग्रिड/उ. क्षे.–3/आर०टी०आई०/19-20/14 दिनांक:13.08.2019

सेवा में,
श्री राहुल सिंह
संपादक-बुलंद लेखनी दैनिक समाचार पत्र
सी-043, गाम्बा टावर, विभूति खंड,
गोमती नगर, लखनऊ, उ०प्र०
मो०-7518 333 111

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, आपके पत्र दिनांक 16.07.2019 के संबंध में

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, भेजा गया पत्र दिनांक 16.07.2019 पावरग्रिड क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को, लखनऊ उपकेन्द्र के माध्यम से, दिनांक 26.07.2019 को प्राप्त हुआ है। मांगी गयी जानकारी निम्नवत है-

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
01.	क्या किसी हाई टेंशन लाइन के लिये खंभे गाड़े जाने से पूर्व भूस्वामी को सूचना दिया जाना एवं उसकी सहमति /अनुमति आवश्यक है ?	भारत विद्युत् अधिनियम 2003 एवं भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत, पारेषण लाइन के निर्माण हेतु, खेत मालिक की अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है।
02.	क्या किसी भूमि पर हाई टेंशन लाइन के खंभे गाड़ने पर किसान/ भूस्वामी को मुआवजा दिया जाने का प्राविधान है ?	किसी भूमि पर हाई टेंशन लाईन के टावर लगाने पर सम्बंधित किसान / भूस्वामी को नियमानुसार क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।
03.	यदि मुआवजा दिया जाना नियमानुकूल है तो मुआवजा का आकलन किस मानक से किया जाता है ? कृषि भूमि तथा आवासीय भूमि हेतु मुआवज़े का क्या प्राविधान है?	मुआवजा राशी का आंकलन राजस्व विभाग के माध्यम से भूमि के प्रकार व आच्छादित क्षेत्रफल के ~~अनुसार तत्कालीन लागू~~ आधार पर किया जाता है।
04.	क्या आपके विभाग द्वारा नई लाइन के लिये ग्राम बेली तह० मोहनलालगंज के गता सं ०311 में खंभा गाडा गया है ? यदि हाँ तो एक खंभे के लिये कितनी भूमि ली गयी है ?	ग्राम-बेली, तहसील : मोहनलालगंज, जनपद : लखनऊ के खसरा संख्या-311 में पावरग्रिड की लाईन का एक टावर लगाया गया है, जिसका क्षेत्रफल 0.011327 हेक्टेयर है।

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>मांगी गई जानकारी</th><th>दी गयी जानकारी</th></tr>
<tr><td>05.</td><td>क्या उक्त भूमि गाटा सं०311 में गड़े खंभे के एवज कोई मुआवज़ा निर्गत किया गया है ? यदि हाँ तो कितना व किसके नाम? पूर्व विवरण दें ? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें ?</td><td rowspan="2">उक्त टावर के एवज में अभी कोई मुआवजा निर्गत नहीं किया गया है | मुआवजा भुगतान के लिये स्वामित्व सत्यापन हेतु राजस्व विभाग तहसील : मोहनलालगंज को पावरग्रिड द्वारा पत्र निवेदन किया गया है, जिसका उत्तर अभी प्रतीक्षित है |</td></tr>
<tr><td>06.</td><td>क्या उक्त भूमि के सम्बन्ध में मुआवजा किस रेट, कृषि भूमि के रेट से दिया गया अथवा आवासीय भूमि के रेट से किया गया है ?</td></tr>
<tr><td>07.</td><td>क्या उक्त खंभा भूखंड के किसी किनारे से लगाया गया है ? अथवा भूखंड के मध्य से ? यदि भूखंड के मध्य में है तो भविष्य के आवागमन हेतु भूस्वामी से कोई अनापत्ति अथवा अनुमति ली गयी है ?</td><td>मौके पर उक्त भूमि का कोई सीमांकन स्पष्ट नहीं है, अतः टावर भूमि के मध्य है या किनारे पर, यह मौके से स्पष्ट नहीं होता है| हाई टेंशन लाईन के टावर लगाने से पूर्व भूस्वामी से अनापत्ति या अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं है |</td></tr>
</table>

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

श्री संजय गुप्ता
कार्यपालक निदेशक,
पावरग्रिड उ०क्षे० – 3
12 राणा प्रताप मार्ग,
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ – 226001

धन्यवाद,

भवदीय,

13/08/19

[कैलाश कुमार गुप्ता]
वरि० महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
पदांकित सी. पी. आई. ओ. - उ. क्षे. – 3,
पावरग्रिड , लखनऊ